Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Deputation including short term contract.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption grade from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Services Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation (including short term contract): From officers of the Central or State Government or autonomous body or Public Sector Undertakings: (a) holding analogous posts on regular basis; or (b) With five years regular service in posts in the Pay band 1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2400 and possessing the following educational qualification: **Essential:** (i) 10+2 in Science from a recognised Board or University; and (ii) Diploma in Dialysis Technology. Desirable: Bachelors Degree in Dialysis Technology.	Not applicable	Not applicable

[F. No. A-11018/10/2015-MH-II]

SANJAY PANT, Under Secy.

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2016

सा.का.नि. 32.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली (परिवार कल्याण कार्यकर्ता) भर्ती नियम 1985 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, परिवार कल्याण कार्यकर्ता के समूह 'ग' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, परिवार कल्याण कार्यकर्ता (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय –समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
परिवार कल्याण कार्यकर्ता	1* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित अनंतुसचिवीय	वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु.	अचयन	18 और 25 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है) **टिप्पण 1 :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम , जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से विज्ञान समूह में 10+ 2 (ii) किसी सरकारी अस्पताल या नर्सिंग होम या प्रसूति केन्द्र में परिवार नियोजन परामर्श देने का एक वर्ष का अनुभव	आयु : नहीं अर्हता : हां	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

वांछनीय : ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जाएगी जिन्हें अंग्रेजी और हिंदी के ज्ञान के साथ कम्प्यूटर प्रचालन का कार्यसाधक ज्ञान हो। **टिप्पण1-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण 2-** अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनूसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।		

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति से : डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के ऐसे बहुकार्य कर्मचारिवृंद या समतुल्य पद से जिन्होंने वेतन बैंड-1, 5200-20,200 रु.+1800 रु. (ग्रेड वेतन) में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समितिः- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली – अध्यक्ष 2. संबंधित विभाग का प्रधान, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली – सदस्य 3. उप निदेशक प्रशासन, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली – सदस्य 4. उप निदेशक प्रशासन, चिकित्सा अस्पताल अनुभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समितिः- 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली – अध्यक्ष 2. संबंधित विभाग का प्रधान, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली – सदस्य 3. उप निदेशक प्रशासन, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली – सदस्य 4. उप निदेशक प्रशासन, चिकित्सा अस्पताल अनुभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए. 11018/03/2015 – एम एच-II]

संजय पंत, अवर सचिव